न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 12/2021 तारीख रजू :– 12.03.2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1. ज्ञानकौर पत्नि भरोसी जाति जाटव निवासी बनकी तन् हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. हरिमोहन पुत्र भरोसी जाति जाटव निवासी बनकी तन् हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. पिंकी बेबा गोविन्दसिंह जाति जाटव निवासी बनकी तन् हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. सुमनसिंह पुत्र भरोसी जाति जाटव निवासी बनकी तन् हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————— प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन ———————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

बाबत् पप्पू के स्थान पर सुमनसिंह संशाोधन करने

उपस्थित :– 1. श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट प्रार्थी गण

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिंनाक :– 22-3-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् पप्पू के स्थान पर सुमनसिंह संशोधन किये जाने विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी [illegible] 654 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण` पिता स्व0 भरोसी की मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी थी, उस समय प्रार्थीगण नाबालिग छोटे छोटे थे, इसलिए हल्का पटवारी ने सुमनसिंह के नाम के स्थान पर पप्पू सहवन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested

रेवन्यू रिकार्ड में जमाबन्दी में नामान्तकरण तस्दीक कर कर दिया था, जबकि प्रार्थी सं04 के समस्त पहचान पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों में सुमनसिंह ही लिखा गया है। अब प्रार्थी सं04 के नाम की भूल को संशोधित करके पहचान पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों के आधार पर सुमनसिंह दुरूस्त किया जावे, जिससे प्रार्थी सं04 के रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में सही नाम सुमनसिंह दुरूस्त हो सके।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी सं02 की जन्मतिथि 25.05.1990 एवं प्रार्थी सं04 की जन्मतिथि 22.06.1995 है। प्रार्थीगण शैक्षणिक दस्तावेज व आधार कार्ड हो चुके हैं, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की रेवन्यू रिकार्ड/ जमाबन्दी में नाबालिग जरिये संरक्षिका माता के स्थान पर बालिग के रूप में प्रार्थीगण हरिमोहन पुत्र भरोसी सुमनसिंह पुत्र भरोसी दुरूस्त किया जावे तथा गोविन्दसिंह पुत्र भरोसी की मृत्यु दिनांक 25.10.2018 को हो चुकी है। जिसकी कानूनी वारिसान विवाहित पत्नि पिंकी बेबा गोविन्दसिंह को पक्षकार बनाया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के नाम का भूलवश हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा पप्पू अंकित हो गया था, जिसके स्थान पर सुमनसिंह दुरूस्त करने बाबत् तहसीलदार हिण्डौन को एक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया था, जिस पर तहसीलदार हिण्डौन ने रेवन्यू रिकार्ड में भूलवश गलत अंकन होने को सही कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त कार्यवाही का प्रार्थना पत्र उपजिला कलक्टर हिण्डौन में पेश होने पर ही भूलवश हुई त्रुटि सही किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी सं04 के नाम में पप्पू के स्थान पर सुमनसिंह संशोधन कर रेवन्यू रिकार्ड/ जमाबन्दी में संशोधित किया जावे तथा प्रार्थीगण को नाबालिग जरिये संरक्षिका ज्ञानकोर के स्थान पर हरिमोहन पुत्र भरोसी, सुमनसिंह पुत्र भरोसी बालिग दुरूस्त कर तहसीलदार को इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हि[illegible] जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 [illegible] कार [illegible] प्रार्थना पत्र का मद नं02 प्रार्थी साक्ष्य सबूत के आधार पर स्वयं सिद्ध करें। [illegible] का मद नं03 स्वीकार योग्य है। मद नं04 कानूनी है। [illegible] 6) विभाग जयपुर दिनांक 18.06.2007 के परिपत्र अनुसार राजस्व अभिलेखों [illegible] काश्तकारों का नाम सम्मानजनक न होने के कारण संशोधन बाबत् जारी दिशा निदेशों के अनुसार साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी सं04 सुमनसिंह का नाम राजस्व ग्राम बनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested

तहसील हिण्डौन में खसरा नम्बर 654 रकबा 0.33 है0 हि01/4 पर पप्पू पुत्र भरोसी (नाबालिग) दर्ज को सुमनसिंह का संशोधन एवं वादी सं0 2 व 4 नाबालिग से बालिग का संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में जमाबन्दी सं0 2072–75, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2011 नामान्क नं0 0990506 सुमनसिंह जाटव पुत्र भरोसी जाटव माता का नाम ज्ञानकौर जन्म तिथि 22.06.1995 की फोटो प्रति, फोटो प्रति अंक तालिका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, करौली क्रमांक 31299 कक्षा 8 बी परीक्षा वर्ष 2006 हरिमोहन जाटव पुत्र भरोसी लाल माता का नाम ज्ञानकौर जन्म तिथि 25.05.1990, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 530444180394 हरिमोहन जाटव पुत्र भरोसीलाल निवासी बनकी जिला करौली जन्म तिथि 25.05.1990, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 235032935332 पिंकी पत्नि गोविन्दसिंह निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली जन्म तिथि 01.01.1993, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 406456050279 मयंक कुमार पुत्र गोविन्द निवासी जगरियान का पुरा बनकी तहसील हिण्डौन जन्म तिथि 22.09.2014, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 290062710381 आरूषी पुत्री पिंकी निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली जन्म दिनांक 08.08.2017, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गोविन्द पुत्र भरोसीलाल निवासी बनकी मृत्यु दिनांक 25.10.2018, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 954135441930 सुमनसिंह जाटव पुत्र भरोसी जाटव निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली, सरपंच ग्राम पंचायत बनकी द्वारा जारी नाम शुद्धि हेतु प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.2021 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का नाम शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तहसी[illegible]डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का [illegible] प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबन्दी सं0 2072–75 [illegible]जी खसरा नम्बर 654 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बनकी तहसील हिण्डौन की खातेदारी नाबालिग गोविन्दसिंह पुत्र भरोसी संरक्षक सरपरस्त माता हिस्[illegible]/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार, ज्ञानकौर पत्नि भरोसी हि01/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार,

नाबालिग पप्पू पुत्र भरोसी संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार, नाबालिग हरिमोहन पुत्र भरोसी संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2011 नामान्करण नं0 0990506 सुमनसिंह जाटव पुत्र भरोसी जाटव माता का नाम ज्ञानकौर जन्म तिथि 22.06.1995 के नाम से जारी की हुई है।

फोटो प्रति अंक तालिका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, करौली क्रमांक 31299 कक्षा 8 बी परीक्षा वर्ष 2006 हरिमोहन जाटव पुत्र भरोसी लाल माता का नाम ज्ञानकौर जन्म तिथि 25.05.1990 के नाम से जारी की हुई है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 530444180394 हरिमोहन जाटव पुत्र भरोसीलाल निवासी बनकी जिला करौली जन्म तिथि 25.05.1990 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 235032935332 पिंकी पत्नि गोविन्दसिंह निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली जन्म तिथि 01.01.1993 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 406456050279 मयंक कुमार पुत्र गोविन्द निवासी जगरियान का पुरा बनकी तहसील हिण्डौन जन्म तिथि 22.09.2014 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 290062710381 आरूषी पुत्री पिंकी निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली जन्म दिनांक 08.08.2017 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गोविन्द पुत्र भरोसीलाल निवासी बनकी मृत्यु दिनांक 25.10.2018 के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 954135441930 सुमनसिंह जाटव पुत्र भरोसी जाटव निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

सरपंच ग्राम पंचायत बनकी [illegible] दिनांक 25.02.2021 में अंकित किया है कि [illegible] जाटव पुत्र भरोसी जाटव निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली जिसका खातेदारी में नाम पप्पू है। जिसका नाम वर्तमान कागजों में नाम [illegible]नसिंह जाटव है। खातेदारी से पप्पू जाटव को हटाकर सुमनसिंह जाटव करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 654 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बनकी तहसील हिण्डौन में नाबालिग पप्पू पुत्र भरोसी संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रार्थी का नाम सुमनसिंह है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सुमनसिंह पुत्र भरोसी है। जिसकी राजस्व रिकार्ड में पप्पू पुत्र भरोसी के स्थान पर सुमनसिंह पुत्र भरोसी दुरूस्ती करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 654 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम बनकी तहसील हिण्डौन में खातेदार पप्पू पुत्र भरोसी के स्थान पर सुमनसिंह पुत्र भरोसी राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 2-2-3-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested